न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/34/2017

उनवान

1. चांद मल पुत्र कंवर लाल भलावत (महाजन) निवासी चांदरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. अभियन्ता, (पारेषण निर्माण) पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 चित्तोडगढ कार्यालय उत्तरी क्षैत्र चित्तोडगढ परियोजना निर्माण कार्यालय 28 बी प्रतापनगर, कुम्भानगर, सब्जी मण्डी के पास, चित्तोडगढ

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के
प्रकरण संख्या 55/2016 निर्णय दिनांक 27.1.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री एस एल वैद ,अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री पवन शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 13.2.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 एवं 92 ए के साथ ही धारा 212

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

ए के साथ ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चांदरास तहसील माण्डल के राजस्व अभिलेख चालु जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के खाता संख्या 174 में दर्ज आराजी नम्बर 194 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 1495 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 1518 रकबा 13 बिस्वा व आराजी नम्बर 1519 रकबा 15 बिस्वा प्रार्थी चांदमल के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होकर स्थित है जिस पर प्रार्थी काविज होकर उपयोग व उपभोग कर रहा है जिसमें कपास की फसल बोई हुई है। विपक्षी एक निगमित संस्थान है, जो विद्युत लाईन के पारेषण निर्माण करती है जो कि अनुज्ञाधारी है।

2. विपक्षी के अधीनस्थ एवं प्राधिकृत अधिकारी एवं व्यक्ति विद्युत उत्पादन की पारेषण लाईनों के निर्माण हेतु प्रार्थी की बिना सहमति एवं पूर्व सूचना दिये प्रार्थी की खातेदारी हक की उपरोक्त आराजियात में अनाधिकार प्रवेश करके प्रार्थी द्वारा बोई हुई कपास की फसल को उक्त आराजियात के चौतरफ पत्थरों की कोट को तोडकर क्षति कारित कर दी और उक्त आराजियात में लगे बडे–बडे नीम के वृक्षों को काटकर नष्ट कर दिया , जिससे प्रार्थी को वास्तविक रूप से क्षति करीब 3,00,000/–रूपये की हुई। विपक्षी के प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी की उक्त खातेदारी हक की कृषि भूमि में पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 15'X15'X15' फिट के गहरे खड्डे करके स्थाई रूप से विद्युत उत्पादन की पारेषण लाईन का निर्माण करने पर उतारू है उक्त कृत्य से प्रार्थी को उक्त आराजियात के फसल के लाभ से सदा सदा के लिए वंचित हो जायेगा । जिससे प्रार्थी के उक्त वादग्रस्त आराजियात के सांपतिक हक व अधिकार के लिए सदा सदा के लिए नष्ट हो जायेगे। जिससे प्रार्थी की स्थाई रूप से आजीविका नष्ट

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली अधिकारी, भीलवाड़ा

होगी। उक्त कृत्य पिछले पन्द्रह दिनों से प्रार्थी की विना सहमति व स्वीकृति के उसकी अदम हाजरी में किया गया । प्रार्थी अपनी पत्नि के ईलाज के लिए अहमदावाद गया हुआ था, वहॉ से वापस दिनांक 18.12.2015 को आया तब उक्त कृत्य की जानकारी हुई। इस कारण वाद पेश करने की नितान्त आवश्यकता हुई।

3. प्रार्थी को विपक्षी के अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी की खातेदारी हक की भूमि में अनाधिकार प्रार्थी की अनुकत के प्रवेश कर करीब 3,00,000/–रूपये की क्षति पहूॅचाई उसकी क्षतिपूर्ति विपक्षी से वसूल कर प्रार्थी को दिलाई जाना एवं स्थाई व्यादेश से विपक्षी के प्राधिकृत व्यक्तियों को विद्युत की पारेषण लाईन 765 के वी डबल सर्किट लाईन के निर्माण न करने से प्रतिबंधित यिा जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है । वाद के विचारण में समय लगने की संभावना है इसलिए वाद के विचारण के दौरान आराजी नम्बर 1494, 1495, 1518, व 1519 में विद्युत की पारेषण लाईन का कोई निर्माण व संरचना करने से अस्थाई व्यादेश से विपक्षी व विपक्षी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को प्रतिबंधित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.1.2017 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी जी माण्डल द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी जी ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण को निस्तारण करते हुए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु निस्तारण नहीं किया तथा उभयपक्षों को सुनना अंकित कर तत्पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनना मानकर तथा कार्य जनहित में होना मानकर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। जबकि उन्होनें इस बाबत विचार नहीं किया कि जब निर्विवाद रूप से अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है, तथा खातेदारी भूमि बाबत किसी प्रकार की अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की गई, तथा मनमाने तौर पर कम्पनी के ठकेदारों द्वारा खेत में प्रवेश कर दीवार को तोड कर फसल नष्ट की गई है तथा 30'X30 का स्थाई अतिक्रमण कर लिया । इस परिस्थिति में एक खातेदार काश्तकार होने के नाते अपीलार्थी को जो उपचार उपलब्ध है इसके तहत अपीलार्थी ने कार्यवाही की तथा न्यायालय द्वारा इस समस्त तथ्यों को नजर अंदाज कर जो निर्णय दिनांक 27.7.2017 पारित किया है वह अपील के माध्यम से निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि न्यायालय द्वारा तलब की गई मौक रिपोर्ट से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि में जबरन अतिक्रमण कर स्थाई रूप से निर्माण कार्य कर लिया गया तथा क्षति कारित की गई, तथा किसी प्रकार का कोई मुआवजा लम्बी अवधि से अदा नहीं किया जा रहा है , न मुआवजा बाबत कोई कार्यवाही की जा रही है, मात्र आश्वासन के आधार पर न्यायालय द्वारा यह अंकित करना

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कि कम्पनी अपीलार्थी को मुआवजा देने को तैयार है तथा इतनी लम्बी अवधि से मात्र मुआवजा देने हेतु तैयार होना अंकित कर जबरन कार्य किया जा रहा है , जबकि कोई अवाप्ति की कार्यवाही नहीं हुई, विधिपूर्ण तरीके से भूमि में प्रवेश करने के अधिकारी कम्पनी के ठेकेदर/अधिकारी नहीं है ऐसे अवैधानिक कृत्य करने वाले लोगों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं कर जो आदेश उपखण्ड अधिकारी जी ने पारित किया है वह पूर्णतया अवैध तथा न्यायिक गरीमा के प्रतिकूल है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र यह अंकित करते हुए खारिज किया है कि उक्त कार्य जनहित का कार्य है। जबकि कोई भी कार्य राज्य सरकार द्वारा या उसके नियुक्त अधिकारी द्वारा जनहित में किया जाता है तो विधि का पालन कर नियमानुसार कार्य किया जाता है परन्तु वर्तमान प्रकरण में बिना अवाप्ति कार्यवाही किये एवं बिना मुआवजे का भुगतान किये अवैधानिक कृत्य किया गया है। मात्र कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा नियमानुसार मुआवजा देने का मौखिक कथन किया गया है। जिसे पर्याप्त मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे।

10. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी क प्रार्थना पत्र बाद विचारण खारिज किया गया है। विपक्षी द्वारा किया गया कार्य जनहित का कार्य है एवं ऐसे कार्य को रोका गया तो निश्चित ही आम जनता क हित प्रभावित होगा । विपक्षी प्रार्थी को मुआवजा देने के तैयार होने से अधीनस्थ

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं मानते हुए तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी अपीलार्थी के पक्ष में नहीं मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है ।

11. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने अपने बैंक खाता के अकाउण्ट नम्बर उपलब्ध नहीं कराये हैं इसलिए मुआवजा अदा नही किया जा सका है। प्रत्यर्थी नियमानुसार मुआवजा देने को तैयार है। मौके पर कार्य का निष्पादन हो चुका है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी का कथन है कि विपक्षी के अधीनस्थ एवं प्राधिकृत अधिकारी एवं व्यक्ति विद्युत उत्पादन की पारेषण लाईनों के निर्माण हेतु प्रार्थी की बिना सहमति एवं पूर्व सूचना दिये प्रार्थी की खातेदारी हक की उपरोक्त आराजियात में अनाधिकार प्रवेश करके प्रार्थी द्वारा बोई हुई कपास की फसल को उक्त आराजियात के चौतरफ पत्थरों की कोट को तोडकर क्षति कारित कर दी और उक्त आराजियात में लगे बडे–बडे नीम के वृक्षों को काटकर नष्ट कर दिया , जिससे प्रार्थी को वास्तविक रूप से क्षति करीब 3,00,000/–रूपये की हुई। विपक्षी के प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी की उक्त खातेदारी हक की कृषि भूमि में पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 15'X15'X15' फिट के गहरे खड्डे करके स्थाई रूप से विद्युत उत्पादन की पारेषण लाईन का निर्माण करने पर उतारू है। जिन्हें स्थगन आदेश द्वारा पाबन्द किया जावे। विपक्षी द्वारा उक्त कार्य जनहित के लिये किया जा रहा है। विपक्षी का कथन है कि वह अपीलार्थी को मुआवजा नहीं दे रहे हैं । जबकि विपक्षी के अधिवक्ता का कथन है कि वे मुआवजा देने के लिए तत्पर है अपीलार्थी ने अपने बैंक

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

खाते का अकाउण्ट नम्बर उपलब्ध नहीं कराया है। जिससे वे मुआवजा अदा नही कर पा रहे हैं। अपीलार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह तथ्य प्रमाणित हो कि उसके द्वारा नियमानुसार अपने बैंक खाते के अकाउण्ट नम्बर विपक्षी को उपलब्ध कराया गया हो। मौके पर खम्भे लगाये जाकर तार खींचे जा चुके हैं अब कोई कार्य शेष नहीं है। उक्त कार्य से होने वाले नुकसान के फलस्वरूप विपक्षी अपीलार्थी को मुआवजा देने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

13. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.1.2017 को यथावत रखा जाता है।

14. निर्णय आज दिनांक 13.2.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.02.13 14:59:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: